Statement

List of News Magazines produced by the Film Division during 1993

S. No.	Name of News Magazine
1	Reaching out Far Beyond.
2	International Film Festival of India
3	The Communal Harmony : The Bhiwandi Example
4	Steel for People People for Steel
5	An Afternoon of Terror
6	The White Tigers of Nandan Kanan
7	Increasing Ties with Thailand
8	Lok Adalat
9	Bhitar Kanika
10	A Goodwill Mission Uzbekistan and Khazakhistan
11	Strengthening Indo Oman Amity
12	Rural Development—A New Dimension
13	The changing Face of Indian Industry
14	A Matter of Worship
15	Independent India Forty Six Years Yong
16	A Goodwill Visit to Bhutan
17	India-China Growing Amity
18	India-Korea New era of Co-operation
19	India-Iran For Closer Ties
20	Spreading Literacy
21	The Killer Quake
22	Gallant Grenadiers

TV Transmitters in Gujarat

1529. SHRI VITHALBHAI M. PATEL :

SMT. URMILABEN CHIMANBHAI PATEL :

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether the State Goverenment of Gujarat has made some proposals to convert Low Power TV transmitter at Bhuj into Hgh Power TV transmitter as the Kutch District of the State is situated on strategic Indo-Pak border area of the country and the viewers are watching the programme of Pakistan TV Transmission and LPT Bhuj covers TV range of about 20 KM only ;

(b) whether there is any proposal to change the location of the High Power TV transmitter at Dwaska to a suitable site as the range of TV Transmitter at Dwarka has been reduced from 10 KW to 1 KW. since June 1988 as are highly humid atmosphere with substantial salt content had demaged the Antenna and as a result, TV sets in Dwarka are not working satisfac torily ;

(c) by when Lower Power transmitter at Cambay is likely to be commissioned, as the construction of this L.P.T. has already been completed ; and

(d) the details of steps taken in this regard ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. P. SINGH DEO) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d) The Low Power TV Transmitter installed at Cambay (Khambat) is ready and providing test transmission. The same would be commissioned into regular service shortly.

फिल्मों को सेंसर किया जाना

1530. श्री गया सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड किन मानदण्डों के आधार पर किसी फिल्म को "यू" प्रमाणपत्र देता है;

(ख) क्या सेंसर के दौरान अश्लील गीतों और द्वयर्थक संवादों पर ध्यान दिया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो उनके बाजार में प्रवेश के लिए कौन-कौन से कारक जिम्मेदार हैं; और

(घ) इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) फिल्मों के प्रमाणन के लिए सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के मार्गनिर्देश 5 (i) में किसी फिल्म को "यू" (अवयस्क) प्रमाणपत्र प्रदान करने के मानदण्ड दिए गए हैं जिसके अनुसार अश्लीलता सार्व-

जनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करते समय बोर्ड (केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड) यह सुनिश्चित करेगा कि फिल्म परिवार के देखने योग्य है अर्थात् फिल्म ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों सहित परिवार के सभी सदस्य एस साथ इसे देख सकें।"

(ख) से (घ) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) के उपबंधों तथा इसके तहत जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु आशयित सभी फिल्मों की जांच की जाती है। इन मार्गनिर्देशों के अनुसार प्रमाणपत्र हेतु फिल्मों की जांच करते समय बोर्ड अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करेगा कि अशिष्टता, अश्लीलता अथवा दुराचारिता द्वारा मानव संवेदनाओं को चोट न पहुंचाई जाए तथा दोहरे अर्थ वाले शब्द न रखे जाएं जिनसे नीच प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता हो। मार्गनिर्देशों के तहत आपत्तिजनक समझे गए फिल्म के भाग को प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व काट दिया जाता है। वे फिल्में, जिनका प्रदर्शन अवयस्कों के लिए अनुपयुक्त समझा जाता है, उनको "ए" (वस्यक) प्रमाणपत्र प्रदान किए जाते हैं। बोर्ड के विचार से ऐसी फिल्मों के मामले में, जहां आपत्तिजनक प्रभाव को काट-छांट द्वारा दूर नहीं किया जा सकता, उनको प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किए जाते। यह उल्लेखनीय है कि गानों आदि की श्रव्य कैसेटों, जिन्हें अधिकतर मामलों में फिल्मों को प्रमाणपत्र प्रदान करने से पहले लोगों में जारी कर दिया जाता है, उनपर चलचित्र अधिनियम लागू नहीं होता। अतः ऐसी कैसेटों पर बोर्ड का कोई नियन्त्रण नहीं है।

उत्तर प्रदेश में उच्च शक्ति/कम शक्ति के टी०वी० ट्रांसमीटरों को स्थापित किया जाना

1531. **श्रीमती सत्या बहिन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन-कौन से हैं, जहां पर उच्च शक्ति अथवा निम्न शक्ति के टीवी ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की स्वीकृति दिए जाने के बाद इन्हें भी अब तक स्थापित नहीं किया गया है;

(ख) इन्हें स्थापित किए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित टी०वी० ट्रांसमीटरों की स्थापना हेतु औपचारिक रूप से स्वीकृत स्कीमें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं :—

उच्च शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर–भऊ।

अल्प शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर–अलमोड़ा, ओरैया, चम्पावत, गंजडुडवारा, हल्द्वानी, कोट-द्वारा, महोबा, मऊ-रानीपुर, मुहम्मदाबाद, नौगढ़ न्यू टिहरी तथा सिकंदरपुर।

अति अल्प शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर—चौखटिया, डीडीहाट, जोशीमठ तथा बागेश्वर।

उपस्कर तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए उपर्युक्त ट्रांसमीटर परियोजनाओं को चरणबद्ध रूप से वर्ष 1995 तक चालू किए जाने की संभावना है। इसके अलावा, निम्नलिखित टी० वी० ट्रांसमीटरों को स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है :—

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर-बलरामपुर, बांदा/अटारा, लखीमपुर तथा सीतापुर।

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर–रूदौली, कासगंज, कर्णप्रयाग, मानपारा, एटा, बसोट/भिकियासेन और लालगंज।

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर–चमोली, देव-प्रयाग, लैन्सडाउन, प्रतापनगर, बिनसार तथा कलजीखाल।